

पत्रांक-श्रम क०सं०-23/2025-1९०

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, खगड़िया के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) द्वारा 02 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत श्रमिकों के आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार एवं आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं मोबाइल नंबर	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ. एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्ता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० सुजय मंडल, 64, त्रिवेणी मंडल, पिछड़ा वर्ग	पूनम देवी (पत्नी) 6525461718 66	1114 24.11.2025 956 19.09.2025	ग्राम+पो०-डुमरिया बुजुर्ग, थाना+प्र०-परबता, जिला-खगड़िया 8825236586	35280131 209790	DBGB PUNBO MBGB 06	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
2	स्व० वाजो देवी, 59, गोरख सिंह उर्फ गोर लाल सिंह, पिछड़ा वर्ग	गोरे लाल सिंह (पति) 8790886058 58	1114 24.11.2025 969 24.09.2025	ग्राम-देवका, पो०-कैथी, थाना+प्र०-चौधम, जिला-खगड़िया, 9334727880	35200100 000294	DBGB PUNBO MBGB 06	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर

कुल राशि :-रू० 1,00,000/-
(एक लाख रूपए मात्र)

- उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
- उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक


ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-23/2025-1९०

पटना, दिनांक :- 11/11/2025

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

श्रम अधीक्षक, खगड़िया/उप श्रमायुक्त, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी0
मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को
सूचनार्थ प्रेषित।


10/02/2026
Signed by Rohit Kumar
Date: 10-02-2026 15:14:07
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक